



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**मध्यमा, मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) एवं इंटर व्यावसायिक परीक्षा, 2013 के प्रमाण पत्रों के वितरण एवं त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना।**

**विज्ञप्ति संख्या - 35/2013**

एतद् द्वारा मध्यमा (संस्कृत), मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) एवं इंटर व्यावसायिक परीक्षा, 2013 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि

- (1) उक्त परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्र, औपबधिक प्रमाण पत्र, आवर्जन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 14.06.2013 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा के प्रधानों से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) **दिनांक 30.06.2013** तक संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधान सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 10.07.2013** तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- (3) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 06.07.2013** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि मध्यमा/मदरसा/इंटर व्यावसायिक परीक्षा-2013 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि **‘वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है’** अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर **दिनांक 06.07.2013** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि के बैंक ड्राफ्ट **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची’** के नाम से देय एवं भुगतये, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका’** के नाम से देय एवं भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज’** के नाम से देय एवं भुगतये होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

अध्यक्ष के आदेश से,  
ह./-

( सुशील कुमार राय )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/294/13

Dt. 13.06.2013

D.O.P. 14.06.2013